अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(48)ग्राविवि / ग्रुप–5 / PMAY-G / M-I / अ. वि. / 2016–17 जयपुर, दिनांक 10 मार्च, 2017

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का विधिवत शुभारम्भ कार्यक्रम "आवास दिवस" बाबत्।
प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि / ग्रुप–5 / PMAY-G / M-I / विविध / 2016–17 जयपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के 4.31 लाख आवास के लक्ष्य वर्गवार / जिलेवार आवंटित किये जा चुके है। योजना का शुभारम्भ 18 मार्च, 2017 को जिला बांसवाडा मुख्यालय से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, भारत सरकार की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु विभागीय पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा 4.31 लाख के लक्ष्य आवंटित कर पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा ऑन–लाईन पंजीकरण, Geo-Tagging, स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। आवंटित लक्ष्यों के कम में आदिनांक तक 383811 पंजीकरण, 178152 Geo-Tagging एवं 120729 स्वीकृतियां जारी कर मात्र 6528 को प्रथम किश्त की राशि जारी की गई है, जो कि खेदजनक है।

अतः 18 मार्च, 2017 को जिला स्तर पर योजना के विधिवत शुभारम्भ "आवास दिवस" कार्यक्रम के कम में निम्नानुसार आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत स्वीकृति सुनिश्चित कराकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :–

- योजनान्तर्गत पात्र भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार भू–खण्ड आवंटित कराकर प्रस्तावित समारोह दिनांक 18.03.2017 से पूर्व ही आवंटन पत्र वितरित कराये जावें।
- लाभार्थियों को कार्यशाला के कम में वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, भारत सरकार की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समारोह दिवस का एलईडी स्क्रीन द्वारा सीधा प्रसारण से सम्बोधित किये जाने की व्यवस्था योजना के प्रशासनिक मद से प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध राशि से प्रति उपस्थित लाभार्थी के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधिवत शुभारम्भ उपरान्त लाभार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम में योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को योजना की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रींटेड पुस्तिका / मार्ग–दर्शिका एवं आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा तैयार किये गये मॉडल नक्शों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जावें।
- प्रशिक्षण के दौरान आवास हेतु नियुक्त सम्बन्धित टैग अधिकारियों के साथ–साथ लाभार्थियों को योजनान्तर्गत Geo-Tag फोटो अपलोड कर किश्त प्राप्त करने हेतु "आवासएप" मोबाईल एप की प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराई जावें।
- योजनान्तर्गत अपेक्षित है कि आवास अधिकतम 4 माह में ही पूर्ण हो, इस कम में कार्ययोजना बनाकर सम्बन्धित लाभार्थी को आवश्यक जानकारी / सहयोग / मार्ग–दर्शन बाबत् टैग अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया जावें।

- स्वीकृत सभी आवासों को अभियान के रूप एक साथ प्रारम्भ कराकर दासे (Plinth) तक का निर्माण कार्य 28 मार्च तक पूर्ण कराकर 31 मार्च, 2017 से पूर्व योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त जारी की जावें। इस हेतु सम्बन्धित टैग अधिकारियों को पाबन्द किया जावें।

अतः माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, भारत सरकार की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का दिनांक 18 मार्च, 2017 को सम्पूर्ण राज्य में एक साथ विधिवत शुभारम्भ ''आवास दिवस'' कार्यक्रम का जिला स्तर पर लाभार्थियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कराकर, उक्तानुसार कार्यवाही के साथ-साथ सभी पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

10.3.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)